प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 14.10.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 13.10.2024 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में धारा-65(2) बीएनएस 5m/6 पॉक्सो एक्ट बनाम बब्लू पुत्र नरेश निवासी सचिन त्यागी का मकान ग्राम प्रहलाद गढ़ी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष पर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें अभियुक्त बब्लू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतू पुलिस टीमों का गठन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा नगर निगम पार्क सै0-14 वसुन्धरा गाजियाबाद पर पहुंची तो अभियुक्त बब्लू उपरोक्त के द्वारा पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जिसमें पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये फायर किया गया। जिससे अभियुक्त बब्लू पुत्र नरेश निवासी- सचिन त्यागी का मकान ग्राम प्रहलाद गढ़ी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नबीगंज थाना उसावां जिला बदांयू उम्र 43 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे अभियुक्त बब्लू उपरोक्त घायल होकर नीचे गिर गया, तत्पश्चात बिना देरी किये पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बब्लू उपरोक्त को दिनांक 13.10.2024 को मय 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभियुक्त बब्लू पुत्र नरेश निवासी- सचिन त्यागी का मकान ग्राम प्रहलाद गढ़ी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नबीगंज थाना उसावां जिला बदांयू उम्र 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक गोकश जिला बदर अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार

आज दिनांक 14/10/2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक जिला बदर अपराधी जो 5 दिन पूर्व जिला बदर घोषित किया गया था जिला बदर अपराधी राशिद पुत्र नजीर निवासी ग्राम नाहल मसूरी को गिरफ्तार किया गया राशिद के ऊपर पूर्व के करीब एक दर्जन लूट चोरी एनडीपीएस गैंगस्टर वा गोकशी के अभियोग पंजीकृत है गिरफ्तार अभियुक्त राशिद को गोकशी से संबंधित ओजार बरामदगी हेतु मुरादनगर गंग नहर की तरफ चितोड़ा पुल से पहले ले जाया गया जहां पर अभियुक्त ने तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया पुलिस पार्टी ने बचाव में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाए पैर में गोली लगी है घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है

बरामदगी का विवरण

1 एक तमंचा 315 बोर वा एक जिंदा ब एक खोखा कारतूस
2 दो छुरी
3 एक रस्सी

अभियुक्त का नाम पता

राशिद उर्फ भोंडी पुत्र नजीर निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 14.10.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त सुमित सिंह उर्फ सन्नी पुत्र सुरेन्द्र सिहं हाल निवासी कृष्णा नगर बागू गली नं0 9 थाना विजय नगर गाजियाबाद स्थायी-पता ग्राम बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को गोल्डी पब्लिक स्कूल के पास नहर रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल थाना मसूरी क्षेत्र से चोरी की थी जिसे मैं आज बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग में मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सुमित सिंह उर्फ सन्नी पुत्र सुरेन्द्र सिहं हाल नि० कृष्णा नगर बागू गली नं0 9 थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद, स्थायी पता ग्राम बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त चाँद पुत्र शोमीन निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व इसके 03 साथियों द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चाँद पुत्र शोमीन निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया था।

आज दिनांक 14.10.2024 को ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पोमी उर्फ समी पुत्र शहजाद निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व चांद आपस में दोस्त हैं। पीडिता से मेरे दोस्त चाँद की करीब डेढ साल से बातचीत थी तथा मेरे दोस्त चाँद ने पीडिता के साथ शारीरिक सम्बध बनाये थे, उस समय मेरे दोस्त चांद ने पीडिता से कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जब पीडिता मेरे दोस्त से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो उसने पीछा छुडाने के लिए उसका मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर दिया था और बातचीत करना बंद कर दिया था। पीडिता ने मुझसे व मेरे साथियों से कहा कि चांद से मेरी मुलाकात करा दो तो मेरे दोस्तों ने उसे पावी के एक ऑफिस में बुला लिया था। वहां पर मौजूद मेरा दोस्त चाँद पीडिता को आफिस के अन्दर ले गया और उसके साथ शारीरिक सम्बध बनाये उसके बाद वह बाहर आ गया और फिर मैंने व मेरे अन्य दोस्तों ने भी पीडिता के साथ शारीरिक सम्बध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पोमी उर्फ समी पुत्र शहजाद निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 07 मोबाइल फोन व 3400/-रू0 बरामद।

आज दिनांक 14.10.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. गुलशन उर्फ कालू पुत्र जयकिशोर निवासी कला एन्कलेव खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता ग्राम मानगढ़ी थाना कोतवाली मथुरा उम्र 22 वर्ष 2. रंजीत पुत्र चन्द्रपाल निवासी गली नं0 4 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम साहपुर दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष को एन.आई.बी रोड़ चौकी क्षेत्र खोडा गांव थाना खोडा गाजियाबाद से चोरी के 07 मोबाइल फोन व 3400/-रू0 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन उर्फ कालू पुत्र जयकिशोर व रंजीत पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>
गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन उर्फ कालू पुत्र जयकिशोर व रंजीत पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हमने गली नं0 7 गीतांजली विहार दिनेश कुमार के मकान से चार मोबाइल फोन चोरी किये थे और मनोज के घर से तीन मोबाइल फोन व 3400/- रू0 चोरी किये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. गुलशन उर्फ कालू पुत्र जयकिशोर निवासी कला एन्कलेव खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता ग्राम मानगढ़ी थाना कोतवाली मथुरा उम्र 22 वर्ष।
2. रंजीत पुत्र चन्द्रपाल निवासी गली नं0 4 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम साहपुर दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी के 07 मोबाइल फोन व 3400/-रू0 बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन उर्फ कालू उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित कुल 09 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी व मारपीट के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>
थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 14.10.2024 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित अभियुक्त खलील चौधरी पुत्र हाजी इसाक निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को उसके मसकन ग्राम महाराजपुर थाना लिकं रोड गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्त खलील चौधरी व उसके अन्य साथी हाजी आरिफ पुत्र बाबू खाँन व जाने आलम उर्फ जानू चौधरी का महाराजपुर में एक संगठित गिरोह है। जिसका मुखिया मौ0 आरिफ है। हमारे

द्वारा साइट- 4 साहिबाबाद गाजियाबाद में संचालित बैंकिट हाल, फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध आर टी आई डालकर उसका भय दिखाकर कार्यवाही न करने की एवज में धोखाधड़ी करके गैंग के आर्थिक, भौतिक लाभ के लिये एक साथ मिलकर कमिश्नरेट गाजियाबाद में धोखाधड़ी कर अवैध रुप से धन की उगाही करते है, तथा फैक्ट्री मालिकों को भय दिखाकर उनसे प्रत्येक महीने अवैध धन वसूल करते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः</u>

खलील चौधरी पुत्र हाजी इसाक निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त खलील चौधरी पुत्र हाजी इसाक उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड़ पर धोखाधड़ी, अवैध वसूली/ उगाही करना व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

- थाना लिंक रोड पुलिस टीम।